झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान-सभा

द्वितीय (बजट)-सत्र

वर्ग- 05

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक- 16 फाल्गुन, 1941(श) को 06 मार्च, 2020 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.
152-	रा0-07	सुश्री अम्बा प्रसाद,	समान मुआवजा के संबंध में।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	20/02/20
153-	स0-12	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	अस्पताल में डॉक्टर एवं संसाधन उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
154-	रा0-31	श्री राजेश कच्छप,	मुआवजा देने के संबंध में।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20
*155-	रा0-25	श्रीमती पुष्पा देवी,	मकान बनवाने हेतु।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20

* राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-852, दिनांक-03-03-2020 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में हस्तांतरित

1.	2.	3.	4.	5.	6.
156-	स0-43	श्री नवीन जयसवाल,	बुजुर्ग गरीबों का ईलाज।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
157-	स0-15	श्री सरयू राय,	एम0जी0एम0 अस्पताल की स्थिति में सुधार।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
158-	स0-41	श्री डुलू महतो,	स्वास्थ्य केन्द्र प्रारंभ कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
159-	श्रमि0-08	श्री कमलेश कुमार सिंह,	स्वीकृत पदों को भरना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	24/02/20
160-	रा0-01	श्री सुदिव्य कुमार,	गैर- मजरूआ जमीन का रसीद कटाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	18/02/20
161-	श्रमि0-02	श्री अमित कुमार मंडल,	बेरोजगारी भत्ता देना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	20/02/20
162-	रा0-34	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी,	जमीन का पट्टा देना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20
163-	स0-45	श्री भूषण बाड़ा,	चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
164-	स0-47	श्री मनीष जायसवाल,	सुविधा देना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
# 165-	मद्य0-01	श्री उमाशंकर अकेला,	दोषियों पर कार्रवाई।	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।	23/02/20

कृ० पृ० 3०—

1.	2.	3.	4.	5.	6.
166-	रा0-15	श्री अनन्त कुमार ओझा,	सीमांकन करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	23/02/20
167-	स0-37	श्री निरल पुरती,	अस्पताल भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
168-	रा0-23	श्री धमरा लिण्डा,	रैयतो को स्थापित करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20
169-	स0-36	श्री निरल पुरती,	मूलभूत सुविधा की व्यवस्था।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
170-	स0-06	डॉ0 लम्बोदर महतो,	एम्बुलेंस उपलब्ध कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
171-	स0-31	श्री कमलेश कुमार सिंह,	चिकित्सकों की कमी दूर करना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	25/02/20
172-	स0-42	श्रीमती पुष्पा देवी,	चिकित्साकर्मी की प्रतिनियुक्ति।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
173-	रा0-08	श्री बंधु तिर्की,	जमीन वापस करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	20/02/20
174-	श्रनि0-07	श्री अनन्त कुमार ओझा,	रोजगार उपलब्ध कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	23/02/20

कृ0पृ0उ0-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
175-	रा0-32	श्री राजेश कच्छप,	कागज उपलब्ध कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20
176-	स0-17	श्री केदार हजरा,	चिकित्साकर्मी का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
177-	स0-29	श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता,	स्वास्थ्य केन्द्र में सुविधा देना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	25/02/20
178-	स0-33	डॉ0 इरफान अंसारी,	ब्लड बैंक चालू कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	25/02/20
179-	स0-04	श्रीमती पूर्णिमा बीरज सिंह,	नवनिर्मित भवन का हस्तांतरण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	20/02/20
180-	रा0-26	श्री चमरा लिण्डा,	दखल दिहानी दिलाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20
*181-	श्रनि0-05	श्री सोना राम सिंकू,	प्रशिक्षकों की नियुक्ति।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	23/02/20
182-	स0-20	श्री किशुन कुमार दास,	अस्पताल में पूर्ण सुविधा देना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
183-	स0-38	श्री डुबू महतो,	नया भवन का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20

क्र0पृ030-

1.	2.	3.	4.	5.	6.
184-	रा0-06	श्री सरयू राय,	जम्मेदार व्यक्तियों पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	20/02/20
185-	स0-26	श्री दशरथ गागराई,	अस्पताल का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	24/02/20
186-	स0-19	श्री मथुरा प्रसाद महतो,	दोषियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
187-	रा0-03	श्री अमित कुमार मंडल,	रैयतों को वापस करना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	20/02/20
188-	मद्य0-04	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग।	28/02/20
# 189-	क-03	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करना।	अनुसूचित जाति,अनुसूचित जन जाति, अल्प संख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।	24/02/20
190-	श्रमि0-11	श्री जयप्रकाश भाई पटेल,	आई0टी0आई0 खोलना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	28/02/20
* 191-	रा0-30	श्री मनीष जायसवाल	म्यूटेशन कराना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	28/02/20
192-	रा0-12	श्री उमाशंकर अकेला	विस्थापितों को मालिकाना हक दिलाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	23/02/20
193-	स0-27	श्री दशरथ गागराई	ब्लड बैंक प्रारंभ कराना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	24/02/20

* राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक-859 दिनांक-04-03-2020 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में स्थानांतरित।

ह0 पृ0 30

1.	2.	3.	4.	5.	6.
194-	स0-08	श्री सोना राम सिंकू	उपस्वास्थ्य केन्द्र का भवन बनाना।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
195-	स0-16	श्री केदार हजरा,	चिकित्साकर्मी का पदस्थापन।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
196-	रा0-10	श्री भानु प्रताप शाही,	रसीद कटाना।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	20/02/20
197-	रा0-16	सुश्री अम्बा प्रसाद,	दोषियों पर कार्रवाई।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।	24/02/20
198-	स0-05	श्री किशुन कुमार दास,	महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	23/02/20
199-	स0-44	श्री भूषण बाड़ा,	चाहर दिवारी का निर्माण।	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।	28/02/20
*200-	श्रनि0-01	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह,	रोजगार उपलब्ध कराना।	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	20/02/20
*201-	श्रनि0-03	डॉ0 लम्बोदर महतो,	पेंशन की स्वीकृति	श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।	23/02/20

नोट :- # उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के ज्ञापांक- 346, दिनांक- 27/02/2020 द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में स्थानान्तरित।

* श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक- 295, दिनांक- 27/02/2020 द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

\# अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ज्ञापांक- 565, दिनांक- 26/02/2020 द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानान्तरित।

क्र0पृ030-

* श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक- 296, दिनांक- 27/02/2020 द्वारा उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में स्थानान्तरित।

* श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के ज्ञापांक- 297, दिनांक- 27/02/2020 द्वारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में स्थानांतरित।

रॉंची
दिनांक- 06, मार्च, 2020(ई0)।

महेन्द्र प्रसाद
सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या- 06/2020.....662...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 02/03/2020

प्रति - झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मुख्य सचिव तथा मनगीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

02/03/2020
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या- 06/2020.....662...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 02/03/2020

प्रति - अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

02/03/2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

ज्ञाप संख्या- 06/2020.....662...../वि0स0, रॉंची, दिनांक- 02/03/2020

प्रति - कार्यवाही शाखा/ वेवसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

02/03/2020
अवर सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, रॉंची।

निरंजन

02/03

(152)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–07 का प्रश्नोत्तर :–

प्रश्न		उत्तर
सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत आदानी पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा प्रति एकड़ 60 लाख रूपया एवं पाकुड़ जिलान्तर्गत पेनम कोलमाइन्स लिमिटेड द्वारा अधिगृहीत जमाबंदी भूमि के रैयतों को 50 लाख रूपया प्रति एकड़ सरकार द्वारा जमाबंदी रैयतों को भुगतान किया गया है;		आंशिक स्वीकारात्मक। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के सभी जिलों के लिए प्रत्येक दो वर्षों पर अबिक्रयशील कृषि भूमि का दर निर्धारित किया जाता है, जो निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2016–18 के लिए निर्धारित	वर्ष 2018–20 के लिए निर्धारित
धानी–I एवं आवासीय–1227600.00 प्रति एकड़	धानी–I एवं आवासीय–1376100.00 प्रति एकड़
धानी–II – 920700.00प्रति एकड़	धानी–II – 1032075.00प्रति एकड़
धानी–III – 613800.00प्रति एकड़	धानी–III – 688050.00प्रति एकड़
बाड़ी–I –767250.00प्रति एकड़	बाड़ी–I –860063.00प्रति एकड़
बाड़ी–II –613800.00 प्रति एकड़	बाड़ी–II –688050.00 प्रति एकड़

उक्त दर के आलोक में संथाल परगना प्रमण्डल के सभी जिलों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम–2013 के शिड्युल–I के तहत रैयतों को भू–मुआवजा का भुगतान किया गया है।

पाकुड़ जिलान्तर्गत पेनम कोल माईंस हेतु भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2002–03 में भू–अर्जन अधिनियम, 1894 के प्रावधान के अन्तर्गत किया गया है। उक्त अधिनियम के अनुसार भूमि का दर प्रति एकड़ निम्न प्रकार निर्धारित किया गया था –

भूमि का किस्म	दर (प्रति एकड)
धानी–I –	141960.00 प्रति एकड़
धानी–II –	106470.00 प्रति एकड़
धानी–III –	70980.00 प्रति एकड़
बाड़ी–I –	88725.00 प्रति एकड़
बाड़ी–II –	17745.00 प्रति एकड

जमाबंदी रैयतों को 50 लाख रूपया प्रति एकड़ भुगतान नहीं किया गया है।

कृ.पृ.उ.

2.	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग जिलान्तर्गत बड़कागांव एनटीपीसी द्वारा भूमि अधिग्रहण में 20 लाख रूपया प्रति एकड़ वहीं चतरा जिलान्तर्गत टंडवा एनटीपीसी अधिष्ठापन हेतु भूमि अधिग्रहण में जमाबंदी रैयतों को महज 15 लाख रूपया प्रति एकड़ मुआवजा का भुगतान किया गया है;	स्वीकारात्मक। आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, उपायुक्त, हजारीबाग एवं ED, NTPC के साथ दिनांक– 20.02.2015 एवं 21.02.2015 को आहुत बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में परियोजना प्रभावित रैयतों को हजारीबाग में 20.00 लाख रूपये एवं दिनांक–04.12.2013 को जिला प्रशासन, चतरा की मध्यस्थता में NTPC एवं ग्राम विकास सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच एक त्रिपक्षीय बैठक में सहमति के आधार पर भूमि का मुआवजा 15.00 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से निर्धारित कर मुआवजा भुगतान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजा कानून एक समान बनाया गया है;	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है जो 01.01.2014 से सम्पूर्ण भारत में (जम्मू कश्मीर को छोड़कर) लागू है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गोड्डा जिला में भुगतान किए गए मुआवजा राशि के दर पर उक्त जिलों सहित राज्य के जिन जिलों में किसी भी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है, उन जिलों के जमाबंदी रैयतों को समान मुआवजा भुगतान कराने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	भूमि के बाजार मूल्य का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–26 में उपबंधित प्रावधान के अनुसार किया जाता है। संथालपरगना प्रमण्डल अंतर्गत अबिक्रयशील भूमि रहने के कारण संथालपरगना प्रमण्डल के अधीन संबंधित जिलों का दर निर्धारण किया गया है। हजारीबाग एवं चतरा जिला में जिला प्रशासन, NTPC एवं ग्राम विकास सलाहकार समिति के सदस्यों के बीच हुए बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8ए /भू.अ.नि.वि.स. (तारां.)–23/2020 125 (अ)रा., राँची, दिनांक 05.03.2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–87/वि.स., दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के संयुक्त सचिव।

(153)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि धनबाद जिलान्तर्गत तोपचाँची प्रखण्ड के गोमो–जीतपुर स्थित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अस्पताल जो 30 बेड का है, बनकर तैयार है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त अस्पताल के चालू नहीं होने से वहाँ के रहने वाले ग्रामीणों को समुचित स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। नये अस्पताल के लिए चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पारामेडिकल कर्मियों का अलग से पद सृजन नहीं हुआ है। तत्काल अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गोमो (जीतपुर) की स्थापना में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा भवन में चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, होमियोपैथिक चिकित्सक के द्वारा भी सुविधा प्रदान की जा रही है । साथ ही इसी भवन में अपोलो टेलिमेडिसीन विभाग से एम०ओ०यू० के तहत चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में डॉ० एवं अन्य संसाधनों को उपलब्ध कराकर चालू कराने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पस्ट कर दिया गया है। चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर उक्त अस्पताल को प्रारम्भ किया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/विधायी–07-03/2020 - 68 (15) राँची, दिनांक– 3-3-2020
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 220 दिनांक– 23-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(154)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–31 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला में रिंग रोड परियोजना के अन्तर्गत 4 फेजों में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है ;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि रिंग रोड अतिरिक्त परियोजना अन्तर्गत मौजा तुरूप अंचल अनगड़ा के ग्रामीणों की जमीन अधिगृहित की गई है;	स्वीकारात्मक ।
3	क्या यह बात सही है कि मौजा तुरूप अंचल अनगड़ा के अधिगृहित भू–स्वामियों को अभी तक उनके घर, कुआँ एवं पेड़ का मुआवजा भुगतान नही किया गया है ;	प्रश्नगत मामले में मात्र दो रैयत क्रमशः श्री विश्वनाथ महतो एवं श्री झुरा महतो है । जिसमें से श्री विश्वनाथ महतो का प्लॉट सं0–2181 में अवस्थित घर का भुगतान कर दिया गया है । श्री झुरा महतो का प्लॉट सं0–1293 में अवस्थित कुँआ का भुगतान के संबंध में सूचित किया गया है कि दो भाईयों के बीच आपसी विवाद रहने के कारण नहीं किया गया है । आपसी विवाद का समझौता हो जाने के पश्चात् भुगतान कर दिया जायेगा ।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार भू–स्वामियों को घर, कुआँ एवं पेड़ का मुआवजा भुगतान अविलम्ब देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–08 / भू०अ०नि०वि०स०(तारां0)–29 / 2020 121 / नि०रा०, राँची, दिनांक–05-03-20

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप संख्या–440 / वि०स०, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की प्रति के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/03/2020
सरकार के उप सचिव।

(155)

श्रीमती पुष्पा देवी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–25 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र. सं.	प्रश्नकर्ता का नाम – श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स०	उत्तरदाता का नाम– श्री आलमगीर आलम, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के छतरपुर विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को भूमि के अभाव में प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी मकान का निर्माण नहीं हो पा रहा है,	अस्वीकारात्मक। अभी तक छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण अन्तर्गत स्वीकृत आवासों में कोई ऐसा आवास नहीं है जिसमें भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण आवास का निर्माण नहीं हो रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि आवास नहीं बनने के कारण हजारों लोग झुग्गी झोपड़ी में जीवन बसर करने को मजबुर है,	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत SECC 2011 के आँकड़ों के आधार पर स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। उस स्थायी प्रतीक्षा सूची से वरीयता के आधार पर छतरपुर विधान सभा क्षेत्र में अब तक 17507 लाभुकों का आवास स्वीकृत किया गया है। स्थायी प्रतीक्षा सूची के सभी लाभुकों को वर्ष 2022 तक आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके अतिरिक्त बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना अन्तर्गत भी आवास उपलब्ध कराया जा रहा है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या भूमि उपलब्ध कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान बनवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत भूमिहीन को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में मुख्य सचिव के पत्रांक–925, दिनांक–25.06.2019 द्वारा बन्दोबस्ती के माध्यम से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने का निदेश सभी जिलों को संसूचित है। प्रत्येक माह जिला में आयोजित अंचल अधिकारी की बैठक में उपायुक्त तथा राज्य स्तरीय अपर समाहर्त्ता की बैठक में सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को ऐसे मामलों की समीक्षा का निदेश भी मुख्य सचिव द्वारा दिया गया है।

5/3/2020
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के अपर सचिव।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10/2020/ग्रा०वि०– 1018 राँची, दिनांक :– 05·3·2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या–438 दिनांक–28.02.2020 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10/2020/ग्रा०वि०– 1018 राँची, दिनांक :– 05·3·2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/श्रीमती पुष्पा देवी, मा०स०वि०स० के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–10–वि०स०–10/2020/ग्रा०वि०– 1018 राँची, दिनांक :– 05·3·2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव–सह–प्रभारी पदाधिकारी (विधान सभा), ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के अपर सचिव।

156

श्री नवीन जयसवाल, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–43 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1. क्या यह बात सही है कि 10 फरवरी 2020 को 30 बेडों का जेरिएट्रिक वार्ड का उद्घाटन किया गया, जिसमें 30 बुजुर्ग मरीजों को भर्ती कर ईलाज करने का प्रावधान है, वर्त्तमान में जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों का ईलाज फर्श पर लिटाकर किया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक।
2. यदि उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उद्घाटन किये गये 30 बेडों का जेरिएट्रिक वार्ड पर बुजुर्ग मरीजों का ईलाज सुचारु रूप से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	जेरिएट्रिक वार्ड में 30 बुजुर्ग मरीजों के ईलाज की व्यवस्था है। वर्त्तमान मे किसी भी बुजुर्ग मरीज का ईलाज फर्श पर नही किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक–11/रिम्स (वि0 स0)–05–01/2020...96(11)... स्वा0/राँची/दिनांक– 04/03/20

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 84/वि0स0 दिनांक– 20.02.2020 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2020
सरकार के उप सचिव।

157

श्री सरयू राय, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 15 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि मार्च, 2019 में एम०जी०एम० अस्पताल, जमशेदपुर की स्थिति सुधारने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त बैठक में कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार एम०जी०एम० अस्पताल, जमशेदपुर की स्थिति में सुधार का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में बेहतर प्रबंधन तथा प्रशासनिक नियंत्रण हेतु झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के 10 पद एवं झारखण्ड वित्त सेवा के उपायुक्त स्तर के 05 अर्थात् कुल–15 पदों का सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। एम०जी०एम०सी०एच० जमशेदपुर एवं पी०एम०सी०एच०, धनबाद परिसर में एक–एक पुलिस टी०ओ०पी० प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड से किया गया है। चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षकों को प्रतिदिन पूरे अस्पताल परिसर में नियमित रूप से परिभ्रमण करने एवं इसके अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। विभागीय पत्रांक–104 (6) दिनांक–18.02.2020 द्वारा एम०जी०एम० चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर में व्याप्त कुव्यवस्थाएँ का अध्ययन कर मंतव्य देने हेतु चार टीमों का गठन किया गया है। इनसे प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुकूल कार्रवाई कर अस्पताल के स्थिति में अपेक्षित सुधार किया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 9/विधायी–06-01/2020 – 69(9) राँची, दिनांक– 02/03/2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 212 दिनांक– 23-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/3/2020
सरकार के उप सचिव

Tiwari

(158)

श्री ढुलू महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 41 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि बाघमारा विधान–सभा क्षेत्र के महेशपुर छत्रुटाँड तारगा आदि जगहों पर स्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कराया गया है ;		आंशिक स्वीकारात्क। वस्तुस्थिति यह है कि– बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड के माध्यम से स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महेशपुर का भवन बनकर तैयार है, जिसे वर्तमान में हस्तगत नहीं किया गया है। भवन के हस्तगत के उपरांत संचालन की कार्रवाई की जाएगी। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में बाघमारा के छत्रुटाँड़ (महुदा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में योजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तारगा (फूलाड़ीटाँड़) में भवन निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विधानसभा प्राक्कलन समिति के निदेश के आलोक में विभाग द्वारा क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वस्थ्य सेवाएँ, उ0छो0 प्र0, हजारीबाग की अध्यक्षता में गठित पाँच सदस्ययीय जाँच दल के निरीक्षण के क्रम में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्र को निर्माण निर्जन स्थल पर किया जा रहा है। तद्–आलोक में उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण योजना कार्य पर तत्काल रोक लगाई गई है।
2. क्या यह बात सही है कि उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण के लगभग दो तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रारंभ नहीं किया गया है, और लोगों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु प्रखण्ड एवं जिला मुख्यालय स्थित अस्पतालों में जाना पड़ता है ;		अस्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि वर्त्तमान में स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महेशपुर का संचालन भाड़े के मकान में तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) महुदा का संचालन स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महुदा के भवन में किया जा रहा है, जहाँ पर लोगों को प्राथमिक चिकित्सा एवं अन्य चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नवनिर्मित स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपरोक्त कंडिका–1 एवं 2 में वस्तुस्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 15/20– 199 (6) स्वा0, राँची, दिनांक: 05·03·2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 446/वि0स0, दिनांक– 28.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
अवर सचिव।

(159)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–08 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत एक मात्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हुसैनाबाद में प्राचार्य का 01, अनुदेशक का 17, लिपिक का 06, तथा वर्कशॉप अटेन्डेन्ट का 03 पद स्वीकृत है जिसके विरूद्ध मात्र 01 अनुदेशक प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। 02 (दो) अनुदेशक एवं 01 (एक) मुख्य अनुदेशक प्रतिनियुक्ति पर हैं।
2	क्या यह बात सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हुसैनाबाद में विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 135 है, जिसे एक मात्र फीटर अनुदेशक के द्वारा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।	स्वीकारात्मक है। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या–139 है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी स्वीकृत पदों को भरना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	सरकार द्वारा स्वीकृत पदों को भरने के लिए अनुदेशक एवं लिपिक संवर्ग का अधियाचना क्रमशः कार्यालय पत्रांक–1394 दिनांक–03.09.2019 एवं पत्रांक–611 दिनांक–01.04.2019 द्वारा अग्रेतर कार्रवाई हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध करा दिया गया है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स सं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–09/2020श्र०नि०– 337 राँची दिनांक– 05/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–335, दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\San\Rahul\Vidhan Sabha\03-09-2020.docx

160

श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–01 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री सुदिव्य कुमार, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि पिछले कई वर्षों से झारखण्ड राज्य में गैर–मजरूआ जमीनों की रसीद काटे जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिससे हजारों किसान दहशत में है,		अस्वीकारात्मक। • दिनांक–03.07.2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं.–18 में अन्यान्य के रूप में निर्णय लिया गया है कि "अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँचोपरान्त रद्द करने" के संबंध में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत निदेश पत्रांक–2074/रा., दिनांक–13.05.2016 के क्रम में अवैध जमाबंदी रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेखों पर अंतिम आदेश पारित होने तक पूर्व में निर्गत मैनुवल लगान रसीद के आधार पर ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। अवैध जमाबंदी के अभिलेखों में पारित अंतिम आदेश से उपरोक्त निर्णय प्रभावित होगा। वैसे सभी अन्य मामले, जिसमें किसी प्रकार की कार्यवाही के बिना भी लगान रसीद निर्गत किया जाना बाधित है, उन सभी मामलों में भी ऑनलाईन लगान रसीद निर्गत करने की व्यवस्था करते हुए रसीद निर्गत किया जाय।" • उक्त आदेश के अनुपालन हेतु विभागीय पत्रांक–2884/रा., दिनांक–10.07.2018 सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी उपायुक्त एवं NIC को संसूचित है। • मंत्रिपरिषद् के उक्त निर्णय के बाद से दिनांक–27.02.2020 तक कुल 62628 लगान रसीद निर्गत है।
2.	यदि खण्ड–1 का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में गैर–मजरूआ जमीनों की रसीद काटने संबंधी आदेश शीघ्र जारी करते हुए ऐसी जमीनों को पूर्व की भाँति प्रतिबंध से मुक्त करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स.भू.(वि.स. तारां.)–14/2020.....899.....(5)/रा., राँची, दिनांक–05-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–31/वि.स., दिनांक–18.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

(161)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–02 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री अमित कुमार मंडल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–15 फरवरी–2020 तक राज्य में कुल–3,96,239 (तीन लाख छियानवे हजार दो सौ उनचालीस) शिक्षित बेरोजगार युवकों का नाम श्रम नियोजन विभाग में निबंधित कराया है;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त योजना सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1/श्र०नि०प्र०(वि०स०)–03–02/2020श्र०नि०– 326 राँची दिनांक– 03/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–73, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

(162)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–34 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स. वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गैरमजरूआ जगीन जो कई कानुनों जैसा सी.एन.टी. (CNT) एक्ट, 1908, पेशा 1996, झारखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2001 तथा वन अधिकार कानुन, 2006 में दखलकारों को उनके दखल–कब्जा के अनुसार एवं ग्राम सभा की सहमति के आधार पर मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार द्वारा पट्टा दी जाती थी, परन्तु सरकार ने इसे निरस्त करते हुए इसे अवैध जमाबंदी तथा अवैध दखल कब्जा बताकर इसे भूमि बैंक बनाकर भूमि बैंक में डालने का काम किया है;		• सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती के संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा परिपत्र/संकल्प/दिशा–निर्देश निर्गत है एवं भूमि बंदोबस्ती की कार्रवाई जिला स्तर पर की जाती रही है। • विभागीय संकल्प सं.–6144/रा., दिनांक– 21.12.2017 द्वारा अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी रद्द करने के प्रसंग में सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन व्यक्तियों के साथ भूमि बंदोबस्ती/संदेहास्पद जमाबंदी नियमितीकरण के संदर्भ में आदेश निर्गत है। • उक्त संकल्प के प्रावधानानुसार सुयोग्य श्रेणी के अन्तर्गत (क) अनुसूचित जाति (ख) अनुसूचित जनजाति (ग) पिछड़ा वर्ग (सूची–1 एवं 2) (घ) वैसे सैनिक/अर्द्धसैनिक बल के सदस्य जो कर्तव्य निर्वहन के दौरान वीरगति प्राप्त/शहीद हुए हो, के उत्तराधिकारी (ङ.) 1947 के विभाजन तथा उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान एवं वर्मा से आये हुए शरणार्थी (च) सामान्य जाति के भूमिहीन परिवार (छ) भूमिहीन दिव्यांग तथा (ज) कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी आयेंगे। • उक्त संकल्प के आलोक में सुयोग्य श्रेणी के वैसे भूमिहीन, जिनके नाम से सरकारी भूमि जिसपर वे 1985 के पूर्व से दखलकार है तथा जिनकी संदेहास्पद/अनियमित जमाबंदी पंजी–II में चल रही अथवा उक्त भूमि पर उनका मकान बना हुआ हो परन्तु उनके पास सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि बंदोबस्त करने संबंधी दस्तावेज (गृह स्थल/वासगीत पर्चा संबंधी साक्ष्य) उपलब्ध न हो तो उन्हें उसी मौजा में जहाँ उसका वासस्थल हो समुचित सत्यापन कर अधिकतम एक माह में उनकी जमाबंदी को उनके/उत्तराधिकारी के नाम से नियमित कर दिया जायेगा ताकि सुयोग्य श्रेणी व्यक्तियों को सरकार के नीति के अनुरूप आवास हेतु 12.5 डिसमिल एवं कृषि कार्य हेतु 5.00 एकड़ तक की भूमि बंदोबस्ती की जा सके। • प्रावधानानुसार वीरगति प्राप्त/शहीद सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल/कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी के व्यक्ति के साथ उसी जिला में भूमि की बंदोबस्ती की जा सकेगी, जिस जिला में उनका वास स्थान हो। • सैनिक एवं अर्द्धसैनिक बल/कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहीद हुए राज्य के पुलिस कर्मी के मामलों को छोड़कर सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन परिवार के व्यक्ति जो सरकारी सेवा में है/सेवानिवृत्त है/आयकर दाता है के साथ भूमि की बंदोबस्ती नहीं की जायेगी।

		• भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (RFCTLARR Act. 2013) की धारा–101 में भूमि बैंक का उपबंध किया गया है। उपरोक्त धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा भूमि बैंक का गठन किया गया है, जिसमें गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, गैरमजरूआ जंगल–झाड़ी तथा विभिन्न विभागों के अधीन अनुपयोजित भूमि सम्मिलित है। उक्त भूमि बैंक में रैयती भूमि तथा संरक्षित वन भूमि सन्निहित नहीं है। उक्त भूमि बैंक का उपयोग अधियाची निकाय से भूमि संबंधी अधियाचना प्राप्त होने पर उपलब्धता व उपयुक्तता के आधार पर त्वरित गति से सुगमतापूर्वक भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु किया जाता है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस भूमि बैंक को भंग करते हुए पुर्व की भाँति दखल कब्जादारों को विशेष अभियान चलाकर तथा सरकारी खर्चों पर जमीन का पट्टा देने का विचार रखती है, हाँ तो कब–तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5/स.भू. (वि.स.तारां.)–26/2020...897...(6)/रा., राँची, दिनांक–05-03-2020

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–435/वि.स., दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 5/3/2020
सरकार के अवर सचिव।

(163)

श्री भूषण बाड़ा, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –45 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला के पालकोट प्रखण्ड स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में, एक महिला चिकित्सक सहित चार चिकित्सक का पद स्वीकृत है :	अस्वीकारात्मक। गुमला जिला में पालकोट प्रखण्ड स्थित सा0 स्वा0 केन्द्र में चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 07 पद स्वीकृत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट में 02 चिकित्सा पदाधिकारी पदस्थापित है जिसमें एक महिला चिकित्सक है। महिला चिकित्सक की कमी को देखते हुए उपायुक्त, गुमला के द्वारा डॉ0 रश्मि कच्छप की प्रतिनियुक्ति सदर अस्पताल, गुमला में की गयी है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड 01 में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में तीन चिकित्सक डॉ0 नरेन्द्र कुमार, प्रभारी डॉ कृष्ण मुरारी सिंह एवं महिला चिकित्सक डॉव रश्मि कच्छप पदस्थापित है :	आंशिक स्वीकारात्मक। डॉ0 नरेन्द्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, पालकोट में पदस्थापित एवं कार्यरत है। डॉ0 कृष्ण मुरारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलिंगबीरा, पालकोट में पदस्थापित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, में एक ही चिकित्सा पदाधिकारी रहने के कारण एवं प्रखण्ड स्तर पर चिकित्सा सुविधा को देखते हुए डॉ0 कृष्ण मुरारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालकोट में कार्य करने का आदेश दिया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–2 में वर्णित डॉ0 कृष्ण मुरारी सिंह सप्ताह में एक दिन आते है एवं हाजरी बनाकर चले जाते है, एवं डॉ0 राश्मी कच्छप भी अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नही है :	अस्वीकारात्मक। कंडिका– 2 में स्पष्ट किया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में ग्रामीणों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	सरकार के द्वारा उक्त वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्रों (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–09/2020 93(3) राँची, दिनांक: 4/3/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–464/वि0स0 दिनांक 28.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2020

(प्रभुनाथ शर्मा)

सरकार के अवर सचिव

164

श्री मनीष जयसवाल, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 47 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि हजारीबाग सदर अस्पताल को अपग्रेड कर हजारीबाग चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल बना दिया गया है, परन्तु अबतक उक्त अस्पताल में महाविद्यालय स्तर की आधारभूत संरचना के साथ–साथ मानव बल तथा दवाओं एवं सर्जिकल आईटमों की काफी कमी है, जिसके कारण उक्त अस्पताल के अपग्रेड होने के बावजूद अबतक यहाँ एक भी मरीज का ऑपरेशन नहीं हुई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। हजारीबाग चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में आधारभूत संरचना यथा OT Light, Boyle's Machine तथा अन्य सर्जिकल आईटम का क्रय किया गया है। सिविल सर्जन, हजारीबाग के द्वारा भी दवाओं का क्रय कर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल को दिया गया है। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल जो माह अगस्त 2019 में सदर अस्पताल से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उत्क्रमित हुआ था उसमें माह अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक 809 सीजिरियन ऑपरेशन तथा 219 अन्य ऑपरेशन हुआ है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित अस्पताल का ट्रामा सेन्टर भी ईलाज के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर रही है ;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग के केन्द्रीय आकस्मिकी (ट्रॉमा सेन्टर) में माह अगस्त 2019 से जनवरी 2020 तक 17102 मरीजों का ईलाज किया गया। केन्द्रीय आकस्मिकी में 24 x 7 एक POD एवं एक SOD कार्यरत रहते हैं एवं जरूरत पड़ने पर दूसरे विभाग के चिकित्सकों को बुलाया जाता है। ओ०पी०डी० के समय में ट्रॉमा सेन्टर में ऑर्थोपेडिक्स तथा सर्जरी ओ०पी०डी० का संचालन किया जाता है।
3-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 अस्पताल में पदस्थापित चिकित्सक अपने दायित्वों का निर्वहन न कर शहर के निजी क्लीनिकों में धड़ल्ले से अपनी सेवा दे रहे है जो गंभीर जाँच का विषय है ;	अस्वीकारात्मक। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल, हजारीबाग में पदस्थापित चिकित्सक अस्पताल में निर्धारित कार्य अवधि तक अपनी सेवा देते है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित अस्पताल में राज्य में संचालित अन्य चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के तर्ज पर सभी सुविधाएँ देने का विचार रखती है ; हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 09/विधायी–06-03/2020-73(9) राँची, दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 463 दिनांक– 28-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/2020

सरकार के उप सचिव

Tiwari

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–मद्य 01 का उत्तर

<table>
<tr><th>क्र० सं०</th><th>प्रश्नकर्ता– श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स०</th><th>उत्तरदाता–श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री</th></tr>
<tr><td>1</td><td>क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत में अवैध शराब की भट्ठीयाँ पुलिस की मिलीभगत से चल रही है, जहाँ हजारो–हजार लीटर अवैध शराब प्रतिदिन बनाये जा रहे है।</td><td>हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत सूदर स्थित नक्सल प्रभावित जंगली क्षेत्र है जो चौपारण थाना से 20 से 25 कि०मी० की दूरी पर है। इस पंचायत के ग्राम भगहर, परसातरी एवं अम्बातरी में अवैध शराब की भट्ठियों के संचालन संबंधी गुप्त सूचना स्थानीय जिला उत्पाद प्रशासन को प्राप्त होते रही है।
सूचना के आधार पर स्थानीय उत्पाद प्रशासन द्वारा अवैध भट्ठियों को नष्ट को करने तथा दोषी व्यक्तियों पर उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से लगातार की जाती रही है। वित्तीय वर्ष–2019–20 में भगहर पंचायत में ही गुप्त सूचना के आधार पर ही उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा चौपारण थाना के सहयोग से दिनांक–28.03.2019, दिनांक–10.07.2019, 19.07.2019, दिनांक–18.01.2020 एवं दिनांक–28.02.2020 को छापामारी कर अवैध भट्ठियों को ध्वस्त किया गया तथा अवैध शराब भट्ठियों के संचालकों के विरूद्ध जिला न्यायालय में अभियोग दर्ज किया गया है।
उक्त छापामारी के दौरान दर्ज अभियोग की संख्या एवं जप्त प्रदर्श की विवरणी निम्न है–
<table>
<tr><th>क्र०</th><th>दिनांक</th><th>दर्ज अभियोग की संख्या</th><th>जप्त अवैध जावा महुआ</th><th>जप्त अवैध चुलाई शराब</th><th>जप्त देशी शराब</th><th>जप्त वाहन</th></tr>
<tr><td>1</td><td>28.03.2019</td><td>09</td><td>14500 kg</td><td>300 ली०</td><td>0</td><td>00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>10.07.2019</td><td>07</td><td>2620 kg</td><td>240 ली०</td><td>0</td><td>00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>19.07.2019</td><td>17</td><td>6415 kg</td><td>590 ली०</td><td>0</td><td>00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>18.01.2020</td><td>14</td><td>19600 kg</td><td>1400 ली०</td><td>0</td><td>00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>28.02.2020</td><td>18</td><td>12000kg</td><td>800 ली०</td><td>300 ली०</td><td>02</td></tr>
</table>
दिनांक–28.02.2020 की हुई छापामारी में एक मोटर साईकल होण्डा साईन, एक सुमो वाहन को वैम्पियन देशी शराब 300 ली० के साथ जप्त कर चौपारण थाना को सपूर्द किया गया। अब तक इस वित्तीय वर्ष में 65 अभियोग दर्ज किये गये है।
उक्त छापामारी में चौपारण थाना का भी सहयोग रहा है। अवैध शराब के विनिर्माण एवं चौर्य व्यापार में स्थानीय पुलिस की संलिप्तता के संबंध में इस विभाग को कोई सूचना नहीं है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>क्या यह बात सही है कि ग्रामीण भट्ठियों का संचालन जंगल को काटकर लाई गई अवैध लकडियों से कर रहें है जिसमें वन विभाग की मिलीभगत है।</td><td>वन विभाग के द्वारा इस संबंध में उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है।
आंशिक स्वीकारात्मक।
हजारीबाग जिला अन्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के भगहर पंचायत में अवैध शराब की भठ्ठियों के संचालन संबंधित सूचना प्राप्त होने के उपरान्त तत्काल वन विभाग द्वारा दिनांक 03.10.2019 तथा 24.10.19 को छापामारी कर वन भूमि पर संचालित शराब भठ्ठी को ध्वस्त कर दिया गया एवं 12 दोषियों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए 3 वन वाद दायर किया गया है।
वन विभाग के द्वारा इस संबंध में मिली–भगत से इनकार किया गया है।</td></tr>
<tr><td>3</td><td>यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार व्यापक लोकहित में उक्त संचालित अवैध शराब की भट्ठीयों को बंद कराते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?</td><td>कंडिका–1 के उत्तर से स्थिति स्पष्ट है।</td></tr>
</table>

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–03 / विधायी–04–04 / 2020– 405 रांची दिनांक– 05/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय के ज्ञाप सं0 प्र.–233 / वि0स0 दिनांक –23.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.20

सरकार के संयुक्त सचिव

166

7\. **श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–15 का प्रश्नोत्तर :–**

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिलान्तर्गत अनसर्वे क्षेत्र का सीमांकन नहीं होने से स्थानीय आमजन को अंचल कार्यालय से संबंधित सभी कार्यों में कठिनाईयाँ हो रही है ;	स्वीकारात्मक ।
1	क्या यह बात सही है कि खण्ड (1) में वर्णित क्षेत्र का सीमांकन सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन बिहार, प० बंगाल द्वारा सहमति पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, सम्पुष्ट नहीं हो सका है ।	साहेबगंज जिला के साहेबगंज अंचल अन्तर्गत मौजा–मखमलपुर एवं रामपुर तथा बिहार राज्य के कटिहार जिलान्तर्गत अमदाबाद अंचल के मौजा–मनिहारी, भागवतपुर एवं बैजनाथपुर के बीच सीमा विवाद ग्रस्त है । इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के डब्ल्यु०पी०सी० नं०–3676/2015 मो० मुस्ताक एवं अन्य बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक–21.06.2017 को पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में सीमा विवाद के समाधान हेतु दोनों राज्य के पदाधिकारियों का संयुक्त जाँच दल गठित किया गया है । संयुक्त जाँच दल दिनांक–04.01.19 एवं दिनांक–24.01.2020 को बैठक किया गया । सीमा निर्धारण संबंधी चर्चा हुई, संयुक्त दल सर्वसम्मति से दिनांक–27.01.2020 से सीमांकन का कार्य करने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक समस्या उत्पन्न न हो, जो दोनों राज्यों के मध्ये विवाद का कारण हो । अतएव संयुक्त दल द्वारा शीघ्र सीमा विवाद हल करने का प्रयास किया जा रहा है । झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल से संबंधित सीमा विवाद हल करने हेतु दोनों राज्य के पदाधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा दिनांक–06.06.2011 से 09.06.2011 के बीच संयुक्त जाँच सम्पन्न हुआ था । पश्चिम बंगाल सरकार से उक्त जाँच एवं समाधान पर अनुमोदन अपेक्षित है । प० बंगाल सरकार से अनुमोदन हेतु अनुरोध किया गया है, ताकि सीमा विवाद का पूर्ण रूप से समाधान हो सके । इस संबंध में पुनः सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक– 04.06.2015 एवं दिनांक–31.05.18 को साहेबगंज जिला में बैठक आहूत की गई, परन्तु उक्त बैठक में प० बंगाल की ओर से कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होने के कारण सीमा विवाद के मसले पर कोई वार्ता नहीं हो सका। विभागीय पत्रांक–15/नि.रा. दिनांक–20.01.2020 द्वारा गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड से इस मामले के निराकरण हेतु 24वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब सीमांकन सर्वे पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–02/भू०अ०परि०नि०वि०स०(तारां०)–06/2020 77 /नि०रा०, राँची, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप संख्या–231/वि०स०, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की प्रति के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/03/2020

सरकार के उप सचिव।

(167)

श्री निरल पुरती, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 37 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत मझगाँव प्रखण्ड रेफरल अस्पताल मझगाँव का भवन पूर्ण रूप से जर्जर है ;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि अस्पताल भवन जर्जर होने के कारण वर्त्तमान बगल में अवस्थित कल्याण विभाग का भवन में किसी तरह ऑफिस का संचालन किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। ऑफिस का संचालन कल्याण विभाग के भवन में नहीं बल्कि रेफरल अस्पताल के भवन में ही किया जा रहा है।
3. क्या यह बात सही है कि अस्पताल का भवन जर्जर रहने के कारण क्षेत्र के मरीजों का ईलाज नही के बराबर है, फलतः आम ग्रामीणों को काफी कठिनाई उठाना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। रेफरल अस्पताल, मंझगाँव के पुराने भवन से ही क्षेत्र के मरीजों को ओ0पी0डी0/आई0पी0डी0 की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित जर्जर भवन को तोड़कर अविलम्ब नयी अस्पताल भवन निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग द्वारा सक्षम स्तर से तकनीकी जाँचोपरान्त जर्जर भवन को कंडम घोषित कराकर आगामी वित्तीय वर्ष में बजट उपलब्धता के आधार पर नये भवन के स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 14/20–198(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 05·03·2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 444/वि0स0, दिनांक– 28.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020

अवर सचिव।

(168)

श्री चमरा लिंडा, माननीय सा0वि0 स0 द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–रा0–23 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिंडा, माननीय सा0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या बात सही है कि राँची के अरगोड़ा मौजा स्थित, खाता नं0–71 का प्लॉट नं0–2083, 2084, 2085, 2086, खाता नं0–130 का प्लॉट नं0–2087, 2088, खाता नं0–238 का प्लॉट नं0–2048, खाता–152 का प्लॉट नं0–2132, 2133 एवं खाता–36 का प्लॉट नं0–2107, खाता–66 का प्लॉट नं0–2077, 2078, 2079, 2080, खाता–233 का प्लॉट नं0–1951, 2104 एवं 2090 की भूमि का अंतरण गृह निर्माण कॉपरेटिव सोसाईटी के द्वारा विभिन्न–विभिन्न व्यक्तियों को सी0एन0टी0 एक्ट 1908 के प्रावधानों के विरूद्ध किया गया।	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रैयतों को पुनः स्थापित करने के लिए कार्रवाई करने का विचार रखती है; हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	संबंधित गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष/सचिव को अंचल अधिकारी, अरगोड़ा का पत्रांक–121, दिनांक–03.03.2020 द्वारा नोटिस निर्गत कर राजस्व कागजातों की मांग की गई है। सुनवाई के उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–6/वि0स0 (तारा0)–60/2020 892/रा0 राँची, दिनांक–05-03-2020

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–441/वि0स0, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

F:Revenue/Vidhansabha Ques. /All Ques./ samna

(169)

श्री निरल पुरती, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 36 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत कुमारडुंगी प्रखण्ड के ग्राम–खड़बन्ध में सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र वर्ष 2015 में उद्घाटन किया गया था ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में सात कार्यरत बल के स्थान पर मात्र दो चिकित्सक कार्यरत है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। चिकित्सा पदाधिकारी के स्वीकृत 04 पद के विरुद्ध 02 चिकित्सक पदस्थापित एवं कार्यरत हैं तथा 02 चिकित्सक अन्य प्रखण्डों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है।
3-	क्या यह बात सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का विगत एक वर्षों से आवंटन बन्द है एवं दवाओं की भी घोर कमी है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। दवा राज्य भण्डार से आपूर्ति की जाती है।
4-	क्या यह बात सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ई०सी०जी० एवं तकनीशियन की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को ईलाज हेतु जमशेदपुर, चाईबासा एवं उड़ीसा ले जाना पड़ता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। आवश्यकतानुसार मरीजों को एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, ई०सी०जी० की सुविधा सदर अस्पताल, चाईबासा में उपलब्ध करायी जाती है।
5-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में सभी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-19/2020 – 80 (15) राँची, दिनांक– 4-3-2020
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 447 दिनांक– 28-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

170

श्री लम्बोदर महतो, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –06 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिलान्तर्गत प्रखण्ड गोमियाँ के चतरोचट्टी तथा महुआटांड में एवं प्रखण्ड कसमार के खैराचातर में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, किन्तु यहाँ कोई भी चिकित्सक पदस्थापित नहीं है और न तो 108 एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है, जिससे मरीजों को ईलाज में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है :	1. बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के चतरोचट्टी में एक नियमित चिकित्सक एवं एक अनुबंध आधारित चिकित्सक पदस्थापित है। सप्ताह में दो दिन बुधवार एवं शनिवार को चतरोचट्टी में चिकित्सक द्वारा रोगियों का ईलाज किया जाता है। सामु0 स्वा0 केन्द्र, गोमिया में कार्यबोझ अधिक होने के कारण शेष दिनों में उनसे सामु0 स्वा0 केन्द्र, गोमिया में ड्यूटी लिया जाता है। 2. अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, महुआटांड मे चिकित्सक पदस्थापित नही है। चतरोचट्टी के अनुबंध चिकित्सक से प्रत्येक शुक्रवार को अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, महुवाटांड में रोगियों का ईलाज करते है। 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध है। 3. अति0 प्रा0 स्वा0 केन्द्र, खैराचातर, कसमार में चिकित्सक का पद रिक्त है। एक आयुष चिकित्सक (यूनानी) अनुबंध पर कार्यरत है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उपर्युक्त अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों का पदस्थापन करने का तथा 108 एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	1. अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैराचातर एवं महुआटांड में चिकित्सकों के पदस्थापन पर चिकित्सकों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा। 2. चतरोचट्टी एवं खेराचातर के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने के बिन्दु पर कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि0स0–03–01/2020 86 (3) रॉंची, दिनांक: 03/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–211/वि0स0 दिनांक 23.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2020

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

(171)

श्री कमलेश कुमार सिंह, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 31 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि पलामू जिला अंतर्गत हुसैनाबाद अनुमण्डल में 25 स्वास्थ्य उपकेन्द्र संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि 25 स्वास्थ्य उपकेन्द्र में 13 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन नहीं है तथा 02 स्वास्थ्य उपकेन्द्र यथा बजरडीह किराये के मकान में संचालित किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। अनुमंडलीय अस्पताल, हुसैनाबाद, पलामू अन्तर्गत 02 स्वास्थ्य उपकेन्द्र बजरडीह तथा गाजीबिहरा का निर्माण हो गया है। इसी माह के अंत तक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संचालन प्रारम्भ किया जायेगा।
3-	क्या यह बात सही है कि हुसैनाबाद अनुमण्डल के सभी 25 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का संचालन चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के कमी के कारण सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में चिकित्सक की पदस्थापना नहीं होती है। प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में Rotation के अनुसार चिकित्सक Visit करते हैं। अनुमण्डलीय अस्पताल, हुसैनाबाद अन्तर्गत संचालित उपकेन्द्रों में 15 ए0एन0एम0 नियमित/अनुबंध/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हुसैनाबाद अनुमण्डल अंतर्गत किराये के मकान में संचालित सभी 15 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों को अपने भवन में चिकित्सकों व नर्सिंग स्टाफ की कमी को दूर करते हुए सुचारू रूप से संचालित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपलब्ध बजट एवं समय–समय पर भवनों की आवश्यकता का आकलन करते हुए इन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण पर उचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-11/2020 83 (15) राँची, दिनांक– 5-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 385 दिनांक– 25-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

172

श्रीमती पुष्पा देवी, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –42 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के छतरपुर विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा सुविधा का अभाव रहने के कारण मरीजो का समुचित इलाज नहीं हो पर रहा है, जिससे वहाँ के ग्रामीण जनता को इलाज हेतु जिला मुख्यालय आना पड़ता है :	आंशिक स्वीकारात्मक। छत्तरपुर विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में यद्यपि चिकित्सकों का अभाव है फिर भी मरीजों का समुचित ईलाज होता है। यहाँ के आमजन को जिला मुख्यालय केवल गंभीर बीमारी के लिए एवं विशेष परिस्थिति में ही जाना पड़ता है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय दूर होने के कारण समय पर इलाज नहीं होने से सैकड़ो ग्रामीणों की मौत हो जाती है :	अस्वीकारात्मक। जिला मुख्यालय छत्तरपुर से 46 किलोमीटर दूर है। फिर भी छतरपुर विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों का समुचित ईलाज होता है। यहाँ के आमजन को जिला मुख्यालय केवल गंभीर बीमारी के लिए एवं विशेष परिस्थिति में ही जाना पड़ता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में छतरपुर विधान–सभा क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकत्सक एवं चिकित्सा कर्मी की प्रतिनियुक्ति तथा दवा सहित समुचित व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सकों एवं चिकित्सा कर्मियो की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–10/2020 96 (3) राँची, दिनांक: 5/3/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–442/वि०स० दिनांक 28.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

(173)

श्री बंधु, तिर्की स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–08 की उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री बंधु, तिर्की, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	कंडिका–1 क्या यह बात सही है कि गउरा उराँव, वीगा उराँव, मनहू उराँव, बोनिया उराँव एवं लंगड़ा उराँव जिला–राँची, प्रखण्ड–बुढ़मु जिसका खाता नं0–142, थाना नं0–88, प्लॉट नं0–1587, मौजा–बुढ़मु, कुल रकबा–1 एकड़ 88 डीसमील है, जो CNT अधिनियम के अंतर्गत आता है जिसे अवैध तरीके से गैर आदिवासी को हस्तांतरित कर दी गई है।	अस्वीकारात्मक। मौजा–गुरगाई, थाना संख्या–88 खाता संख्या–142 में वकास्त मालीक नाम लगान पानेवाला किशोरी मोहन राम पाण्डे वगैरह के नाम पर दर्ज है, जो CNT Act से आच्छादित नहीं है। मौजा–बुढ़मु का थाना सं0–67 में खाता संख्या–142 खतियान/पंजी–II में मोगवा मुण्डा वल्द फगुआ मुण्डा कौम मुण्डा दर्ज है, जो CNT Act से आच्छादित है। जिसका भूमि का हस्तांतरण नहीं किया गया है। मौजा–गुरगाई थाना संख्या–88 में प्रश्नगत प्लॉट संख्या–1587, खाता संख्या–241 से संबंधित है। ऑनलाईन खतियान के अनुसार थाना संख्या–88 प्लॉट सं0–1587 में वोनीआ उराँव पेशरान लंगडा उराँव के नाम से ऑनलाईन पंजी–II में दर्ज है। मूल पंजी– II में उक्त रैयत का जमाबंदी कायम नहीं है। प्रश्नगत भूमि प्लॉट संख्या–1587 पर गैर आदिवासी अताउल्ला अंसारी वगै0 पिता सुलेमान अंसारी वगै0 मूल पंजी पंजी–II में इनके नाम से जमाबंदी कायम है, जो भू वापसी का मामला बनता है।
2.	कंडिका–2 यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कब तक रैयतों का जमीन वापस करवाने का विचार है; हाँ तो कबतक, नही तो क्यों?	सभी तथ्यो के समीक्षोपरांत सी.एन.टी. एक्ट, 1908 की धारा–71A के तहत भूमि वापसी की कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एंव भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–6/वि0स0(तारांकित)–49/20.....89...../रा0, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–88/वि0स0, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

(174)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–07 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगार छात्र–छात्राओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है तथा ये छात्र–छात्राएँ रोजगार प्राप्त करने हेतु अन्य राज्यों को पलायन कर रहे हैं;	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** रोजगार प्राप्त करने हेतु छात्र–छात्राओं के अन्य राज्यों को पलायन संबंधी सूचना प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजनालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र–छात्राएँ अपना निबंधन रोजगार प्राप्त करने के लिए करते हैं;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि सरकार स्नातक / स्नातकोत्तर / स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षित बेरोजगारों के बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने की योजना बनायी है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निबंधित बेरोजगार छात्र–छात्राओं का आँकड़ा उपलब्ध कराने के साथ वे बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त योजना सरकार के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स नं०–0651–2490958 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–07 / 2020श्र0नि0– 333 राँची दिनांक– 04/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–226, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

4/3/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sanj\Rahul\Vidhan Sabha\03-07-2020.docx

(175)

श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–32 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०स०	प्रश्न	उत्तर
	श्री राजेश कच्छप, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के धुर्वा में वर्ष 1958 में एच०ई०सी० का निर्माण कराया गया था ;	स्वीकारात्मक ।
2	क्या यह बात सही है कि एच०ई०सी० की निर्माण हेतु भूसुर, सतरंजी, लटमा, तिरिल आदि ग्रामों के ग्रामीणों की जमीन अधिगृहित की गई थी;	स्वीकारात्मक ।
3	क्या यह बात सही है कि विस्थापित ग्रामों के ग्रामीणों को विभिन्न स्थानों पर पुर्नवास कराया गया था ;	स्वीकारात्मक ।
4	क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों को आज तक पुर्नवासित स्थानों का कागजात (बण्डा पर्चा) उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे उनके आश्रितों को जाति, आवासीय एवं विभिन्न तरह के प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी हो रही है ;	नामकुम अंचल के अन्तर्गत पुनर्वासियों का मौजा लटमा, सतरंजी, भूसुर में पुनर्वास दिया गया है । कुल 85 पुनर्वासियों को लगान निर्धारण कर पर्चा उपलब्ध करा दिया गया है । पुनर्वासियों के आश्रितों को जाति, आवासीय एवं आय प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है ।
5	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब पुर्नवास कराये गये जमीनों का कागजात ग्रामीणों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	शेष प्राप्त आवेदनों पर सत्यापन का कार्य किया जा रहा है । सत्यापन उपरोक्त विस्थापितों को पर्चा उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–08 / भू०अ०नि०वि०स०(तारां0)–30 / 2020 120 / नि०रा०, राँची, दिनांक–05-03-2020

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप संख्या–460 / वि०स०, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की प्रति के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/2020
सरकार के उप सचिव।

176

श्री केदार हाजरा, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –17 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत जमुआ प्रखण्ड अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जागंज में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा में सृजित पद के अनुरूप चिकित्सक तथा चिकित्साकर्मी का पदस्थापन नहीं है :	स्वीकारात्मक।
	क्या यह बात सही है कि खण्ड– 01 में चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी नही रहने के कारण स्थानीय जनता हो सरकार द्वारा की जाने वाली सरकारी सुविधा से वंचित होना पड़ रहा है :	अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र मिर्जागंज में पदस्थापित पारा कर्मी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जमुआ के द्वारा चिकित्सकों का रोस्टर के अनुरूप ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा में पाराकर्मियों के द्वारा चिकित्सा उपलब्ध करायी जा रही है। अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा में झारखण्ड डिजिटल डिस्पेन्सरी के द्वारा भी ईलाज किया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड– 01 में सृजित पद के अनुरूप चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मी के पदस्थापन करने का विचार रखती है,	चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3 / वि०स०–03–02 / 2020 89 (3) रॉची, दिनांक: 03 / 03 / 2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, रॉची के ज्ञाप0 सं0–209 / वि0स0 दिनांक 23.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2020

(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

(177)

श्रीमती अर्पणा सेन गुप्ता, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० –29 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत प्रखण्ड–निरसा स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सक/महिला चिकित्सक/ चिकित्सा कर्मियों को पदस्थापित नहीं किया गया है :	आंशिक स्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में चिकित्सा पदाधिकारियों के सृजित सात पदों के विरूद्ध तीन चिकित्सक पदस्थापित है। इसमें से दो महिला चिकित्सक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक/कर्मियां तथा दवाओं का घोर अभाव रहता है। जिस कारण मरीजों को काफी परेशानी होती है तथा एक्स–रे/अल्प श्रेणी के शल्य चिकित्सा के लिए धनबाद जाना पड़ता है :	आंशिक स्वीकारात्मक। आवश्यक दवा उपलब्ध है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निरसा में एक्स–रे की सुविधा नही है। पी0 एम0 सी0 एच0, धनबाद में एक्स–रे की सुविधा उपलब्ध है जहां आवश्यकतानुसार भेजकर एक्स–रे करायी जाती है। अल्प श्रेणी के शल्य चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।
3.	क्या यह बात सही है कि N.H-2 जी0 टी0 रोड पर अवस्थित होने के कारण यहां आए दिन दुर्घटना होते रहता है तथा रात्रिकालीन सेवा नही होने के कारण लोगों की काफी परेशानी होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। इस केन्द्र में दंत चिकित्सक सहित दो चिकित्सक पदस्थापित है। फिर भी चिकित्सकों के बीच रोस्टर तैयार कर रात्रिकालीन आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त स्वास्थ्य केन्द्र में सृजित पदों के अनुरूप चिकित्सकों/कर्मियों की नियुक्ति, एक्स–रे की सुविधा, दवाओं की आपूर्ति व रात्रिकालीन सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	चिकित्सक एवं चिकित्साकर्मियों की उपलब्धता के आधार पर पदस्थापन पर विचार किया जायेगा। एक्स–रे सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–07/2020 87 (3) राँची, दिनांक: 03/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–384/वि0स0 दिनांक 25.02.2020 के क्रम में में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2020
(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

(178)

श्री इरफान अंसारी, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि जामताड़ा जिलान्तर्गत वर्श 2015–16 में ब्लड बैंक निर्माण हो जाने के बाद भी अबतक चाल नहीं किया गया है, जिससे मरीजों को ब्लड बैंक की सुविधा मिल रही है ;	अस्वीकारात्मक। जामताड़ा जिला अन्तर्गत ब्लड बैंक का भवन बनकर तैयार है। ब्लड बैंक में विभाग द्वारा प्राप्त सभी आवश्यक सामग्री एवं मशीन उपकरणों का अधिष्ठापन हो चुका है। केन्द्रीय टीम द्वारा दो बार ब्लड बैंक, जामताड़ा का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के क्रम में दी गई सभी त्रुटियों का निराकरण कर दिया गया है। ब्लड बैंक हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्ति की प्रक्रिया निदेशक औषधि, रांची के स्तर से प्रक्रियाधीन है जो अंतिम चरण में है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र ही ब्लड बैंक चालू कराने का विचार है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कडिका में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है। यह ब्लड बैंक मार्च 31 तक प्रारम्भ की जायेगी।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-09/2020 - 76 (15) राँची, दिनांक– 3-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 390 दिनांक– 25-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020
सरकार के उप सचिव

Tiwari

179

श्रीमती पूर्णिमा निरज सिंह, मा० स० वि० स० द्वारा दिनांक 06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०– स–04 की उत्तर सामग्री।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के 23 जिलों में सदर अस्पताल, अपने निजी सरकारी भवनों में संचालित हैं, जहाँ पर मरीजों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराया जा रहा है :	स्वीकारात्मक। राज्य के 23 जिलों में सदर अस्पताल सरकारी भवन में संचालित है। जहां मरीजों को चिकित्सीय सेवा उपलब्ध कराई जाती है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्र सं0 444/1/स्व0, पटना, दिनांक 04.03.1980 के द्वारा सदर अस्पताल धनबाद को पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद के साथ सम्बद्ध कर इसका नामकरण P.M.C.H किया गया था :	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वर्तमान में सदर अस्पताल धनबाद तथा P.M.C.H धनबाद का एक ही परिसर में संचालित होने के कारण अस्पताल आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा लेने में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है :	अस्वीकारात्मक। पी0एम0सी0एच0, धनबाद में आने वाले मरीजों को बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
4.	क्या यह बात सही है कि रणधीर वर्मा चौक, धनबाद के निकट पुराना सदर अस्पताल परिसर में जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट के तहत नवनिर्मित भवन का हस्तांतरण सिविल सर्जन धनबाद को प्राप्त है तथा वहाँ अन्य विभाग का कार्य सम्पादित हो रहा है :	रणधीर वर्मा चौक, धनबाद के निकट पुराना सदर अस्पताल परिसर में विभाग द्वारा नवनिर्मित भवन का निर्माण कराया गया है जिसका हस्तानान्तरण हो गया है। इस भवन में डी0 एम0 एफ0 टी0 के तहत संविदा के आधार पर नियुक्ति चिकित्सकों एवं पारामेडिकल कर्मियों द्वारा चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही है :
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने के उद्देश्य से सदर अस्पताल, धनबाद को P.M.C.H धनबाद परिसर से हटाकर पूर्व की भांति रणधीर वर्मा चौक धनबाद के निकट पुराना सदर अस्पताल परिसर के नवनिर्मित भवन में करते हुए इसका नियंत्रण सिविल सर्जन/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, धनबाद को कराना चाहती का विचार रखती है, हां तो कब तक, नही तो क्यों ?	सदर अस्पताल, धनबाद हेतु पदों की स्वीकृति के पश्चात् इस अस्पताल को पूर्णतः क्रियान्वित किया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 3/वि०स०–03–04/2020 98(3) राँची, दिनांक: 03/03/2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची के ज्ञाप0 सं0–75/वि0स0 दिनांक 20.02.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/2020
(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के उप सचिव

180

श्री चमरा लिण्डा, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा0–26 की उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री चमरा लिण्डा, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	कंडिका–1 क्या यह बात सही है कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव का पत्रांक नं0–3694, दिनांक–06.08.2015 के द्वारा बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अधीन लंबित मामलों एवं भौतिक दखल–दिहानी मामलों पर विशेष अभियान चलाने हेतु जिलों में पदाधिकारियों के साथ स्थायी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दिनांक–15 अगस्त से 15 नवम्बर 2015 तक अभियान चलाने की कार्रवाई करने के लिए सभी आयुक्त एवं उपायुक्तों को निदेश दिया गया था है;	स्वीकारात्मक।
2.	कंडिका–2 यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सूची के साथ यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि उक्त निदेश के आलोक में कितने मामलों में भौतिक दखल–दिहानी की सफलतम कार्रवाई की गई है; हों तो कबतक नही तो क्यों?	जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर SAR Court, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, अपर समाहर्त्ता का न्यायालय एवं अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय द्वारा 211 वादों का भौतिक दखल–दिहानी दिलाने हेतु आदेश पारित किया गया है। राँची जिला में 21 मामलों एवं सरायकेला–खरसावाँ में 9 मामलों का दखल–दिहानी दिलाया गया है। जिलों से भौतिक दखल–दिहानी दिलाने से संबंधित सूची की माँग विभागीय पत्रांक–858, दिनांक–04.03.2020 द्वारा की गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :–6/वि0स0(तारांकित)–61/20.....893/रा0, दिनांक–05-03-2020

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके पत्रांक–437/वि0स0, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

(182)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 20 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि चतरा जिलान्तर्गत पत्थलगड्डा, सिमरिया तथा मयूरहण्ड तथा गिद्धौर प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रेफरल अस्पताल है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि वर्णित अस्पतालों में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ तथा दवाई की उपलब्धता नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। अस्पतालों में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ तथा दवाई की सुविधा उपलब्ध है।
3-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य सुविधा का अभाव होने के कारण वर्णित प्रखण्डों के निवासी का ईलाज नहीं होने के कारण झोलाछाप चिकित्सकों द्वारा ईलाज करने को मजबूर है ;	अस्वीकारात्मक। सरकारी चिकित्सकों के द्वारा ही ईलाज किया जा रहा है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अस्पतालों में अविलम्ब चिकित्सकों नर्सिंग स्टाफ तथा दवाई उलपब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-05/2020 - 72 (15) राँची, दिनांक– 3-3-2020
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 207 दिनांक– 23-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

183

श्री डुलू महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 38 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि बाघमारा में बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा विभिन्न प्राथमिक उपकेन्द्र संचालित है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य केन्द्र के पास एक ही एम्बुलेंस है साथ ही महुदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन की हालात काफी जर्जर है और चिकित्सा उपकरणों की कमी है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघमारा में अपना कोई एम्बुलेंस नहीं है। 108 एम्बुलेंस सेवा के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बाघमारा में दो एम्बुलेंस एवं बाघमारा प्रखण्ड अन्तर्गत चारो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (अति०प्रा०स्वा०केन्द्रों) में एक–एक एम्बुलेंस तथा कुष्ठ प्रशिक्षण केन्द्र एवं अस्पताल, तेतुलमारी में एक एम्बुलेंस सेवा प्रदान कर रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुदा (अति०प्रा०स्वा०केन्द्र) का अपना भवन नहीं है । यह केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, महुदा के भवन में संचालित है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुदा का भवन छत्रुटाँड़ में निमार्णाधीन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महुदा में आवश्यक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध है।
3-	क्या यह बात सही है कि एक ही एम्बुलेंस होने एवं चिकित्सा उपकरण के अभाव में लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है ;	अस्वीकारात्मक। 108 एम्बुलेंस की सेवाएँ हमेशा उपलब्ध रहती है तथा आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध है। अतएव लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एम्बुलेंस तथा महुदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को नया भवन व चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने का विचार रखती, यदि हाँ, तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पस्ट कर दिया गया है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-20/2020 - 81 (15) राँची, दिनांक–4-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 443 दिनांक– 28-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.03.2020
सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(184)

श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–06 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	श्री सरयू राय, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमा सं0–LPA नं. –236/2012 (टाटा स्टील बनाम् झारखण्ड सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय के मौखिक निर्देश के बारे में राज्य के तत्कालीन महाधिवक्ता ने अपने पत्रांक–6777, दिनांक–04.07.2017 द्वारा सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भ्रामक जानकारी दी;		वस्तुस्थिति यह है कि L.P.A No.-236/2012 (M/s Tata Steel Ltd. Vrs. State of Jharkhand & Ors.) में दिनांक–03.07.2017 को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त Oral Observation के संबंध में तत्कालीन अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा अपने पत्रांक–6777, दिनांक–04.07.2017 के द्वारा विभाग को जानकारी दी गयी।
2.	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन महाधिवक्ता के इस भ्रामक पत्र की सत्यता परखे बिना विभाग ने उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया और उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने विषयांकित भूमि पर श्री दलजीत सिंह की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जो कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में स्थगन आदेश दिये जाने की सूचना प्राप्त होने के बाद भी उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम ने श्री दलजीत सिंह की विषयांकित भूमि की जमाबंदी आनन–फानन में रद्द कर दिया;		प्रश्नगत भूमि पर कायम अवैध जमाबंदी को रद्द करने हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक–487/टी.एल., दिनांक–15.10.16 के द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में बिहार (झारखण्ड) सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–4(h) के तहत् अग्रेतर कार्यवाही करने तथा दोषी पदाधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक–5835/रा., दिनांक–04.11.16 के द्वारा निदेशित किया गया। तत्पश्चात् तत्कालीन अपर महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय से प्राप्त पत्रांक–6777, दिनांक–04.07.17 के द्वारा संसूचित Oral Observation के आलोक में विषयांकित मामले पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु विभागीय पत्रांक–3577/रा., दिनांक–10.07.17 के द्वारा उपायुक्त को निदेशित किया गया। उक्त क्रम में तत्कालीन महाधिवक्ता, झारखण्ड के द्वारा अपर महाधिवक्ता के रूप में लिखे गये अपने पत्रांक–6777, दिनांक–04.07.2017 के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रांक–3577/रा. दिनांक–10.07.17 को संशोधित करने हेतु पत्रांक–3931, दिनांक–26.04.2018 के द्वारा निदेशित किया गया। प्राप्त पत्र के आलोक में उक्त आदेश को विभागीय पत्रांक–1819/रा., दिनांक–26.04.18 के द्वारा संशोधित करते हुए मामले में विधिसम्मत कार्रवाई करने हेतु उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निदेशित किया गया है। संबंधित भूमि पर श्री दलजीत सिंह के नाम से

कृपया

			कायम जमाबंदी को रद्द करते हुए अभिलेख सं.–29/2017–18 को प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तुत मामला माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित Stay Order आदेश से आच्छादित होने के कारण इस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले में दायर वाद सं.–W.P.(C) No.-4311/2017, सरदार दलजीत सिंह–बनाम्– झारखण्ड राज्य एवं अन्य को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–14.08.2019 को dismiss कर दिया गया है। यद्यपि इसी विषय से संबंधित वाद L.P.A No.-236/2012 (M/s Tata Steel Ltd. Vrs. State of Jharkhand & Ors.) में दिनांक–15.06.12 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित Status Quo आदेश वर्तमान में लंबित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश के संबंध में भ्रामक सूचना देकर सरकार को गुमराह करने वाले तत्कालीन महाधिवक्ता तथा जिम्मेदार अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?		सरकार द्वारा प्रश्नगत मामले में कोई नियमविरूद्ध कार्रवाई नहीं की गयी है। तत्कालीन महाधिवक्ता के संदर्भ में विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड का परामर्श प्राप्त किया गया है, जो निम्नवत् है–"महाधिवक्ता का पद एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद–165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है एवं वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान में महाधिवक्ता को हटाए जाने अथवा उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु आधार एवं प्रक्रिया का उल्लेख स्पष्ट रूप में परिलक्षित नहीं हो रहा है।"

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–4/वि.स. (तारां.)–08/2020(खण्ड) 895 (4)/रा., राँची, दिनांक–05-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–86/वि.स., दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020

सरकार के अवर सचिव।

(185)

श्री दशरथ गागराई, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 26 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत आमदा में 500 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य बार–बार Time extension देने के बावजूद पूर्ण नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार सरायकेला खरसावाँ जिला के आमदा में 500 शय्यावाले अस्पताल के निर्माण हेतु संवेदक NBCC द्वारा 27.02.2012 को कार्य प्रारंभ किया गया जिसे पूर्ण करने की तिथि 26.02.2014 थी। परन्तु कार्य स्थल के Hilly Terrain को हटाने, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 500 शय्या वाले अस्पताल को मेडिकल कॉलेज –सह– अस्पताल में विकसित करने की घोषणा के अनुरूप नक्शा में बदलाव होने एवं टिचिंग अस्पताल हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार नहीं होने के कारण अतिरिक्त समय लगा है। वर्तमान में कार्य 85 प्रतिशत पूर्ण है एवं दिसम्बर 2020 तक कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।
2. क्या यह बात सही है कि अस्पताल का निर्माण कार्य विगत 9 साल में भी पूर्ण नहीं हो पाया है ;	स्वीकारात्मक।
3. क्या यह बात सही है कि महत्वाकांक्षी योजना को लेकर संबंधित संवेदक द्वारा लापरवाही बरती जा रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार प्रारंभ में उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने में विलम्ब हुआ है। 500 शय्या अस्पताल को टिचिंग अस्पताल में परिवर्तित करने के लिए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची से पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त होने के उपरांत विभागीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्णित अस्पताल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लि0, राँची से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार संवेदक NBCC इण्डिया लि0 द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया है कि निर्माण कार्य 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 05/20–191(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 04.03.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–284/वि0स0, दिनांक– 24.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2020

अवर सचिव।

(186)

श्री मथुरा प्रसाद महतो, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 19 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि पी0एम0सी0एच0 धनबाद में साफ–सफाई हेतु वर्मा इंटरप्राइजेज को तीन वर्षों के लिए 4,84,000 रू0 प्रति माह की दर पर कार्य दिया गया ;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक–12(6)ब दिनांक 22.05.2018 के आलोक में उनके पत्रांक–434 दिनांक 01.03.2019 द्वारा ई निविदा में सफल निविदाकार मे0 वर्मा इन्टरप्राइजेज के साथ तीन वर्षों के लिए साफ–सफाई हेतु राशि 4,84,882/– (चार लाख चौरासी हजार आठ सौ बत्तीस) रूपये प्रति माह की दर से कार्यादेश निर्गत किया गया था ।
2. क्या यह बात सही है कि पाँच माह के उपरांत ही पुनः उसी कार्य को टेंडर कर उसी एजेंसी को 1903439.64 रू0 प्रतिमाह के दर से उसे कार्य दिया गया, जो घोर वित्तीय अनियमितता है ;	आंशिक स्वीकारात्मक वस्तुस्थिति यह है कि अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, धनबाद से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभागीय पत्रांक–737 दिनांक 05.07.2019 द्वारा संशोधित मॉडल टेन्डर डॉक्युमेन्ट (जिसमें साफ सफाई का कार्य क्षेत्रफल के अनुसार दो पाली में करवाने हेतु निदेशित किया गया था) के आलोक में उनके पत्रांक–1381 दिनांक 27.07.2019 एवं एजेंसी के साथ किये गये एकरारनामा की कंडिका 21 के अनुसार अस्पताल में साफ–सफाई करने वाले एजेन्सी को 3 माह का नोटिस देते हुए कार्य समाप्ति का निदेश दिया गया। अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0 धनबाद के पत्रांक–1467 दिनांक 14.08.2019 द्वारा क्षेत्रफल के आधार पर सफाई के दर हेतु प्रकाशित ई–निविदा के फलस्वरूप मे0 वर्मा इन्टरप्राइजेज का एक पाली का दर 6,34,479.88 न्युनतम पाया गया। एजेन्सी के दर में वाह्य क्षेत्रों के साफ–सफाई हेतु प्रति वर्ग फीट प्रति माह 38 पैसे एवं अंतः भाग के साफ–सफाइ हेतु प्रति वर्ग फीट प्रति माह 70 पैसा का दर दिया गया था। अधीक्षक के पत्रांक–1907 दिनांक 23.10.2019 द्वारा कुल मासिक दर पर दो शिफ्ट मिलाकर कुल 12,68,959.76 रूपये का कार्यादेश निर्गत किया गया।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर टेंडर को रद्द करते हुए दोषियों पर कार्रवाई करने विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	संशोधित मॉडल टेन्डर डॉक्यूमेंट के आधार पर न्यूनतम दर दाता को कार्य आवंटित किया गया है। जो नियमानुकूल है। अतः कार्रवाई का प्रश्न नहीं है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 03/20–1926 रां0, राँची, दिनांक: 04·03·2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 221/वि0स0, दिनांक– 23.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/03/2020
अवर सचिव।

(187)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा.–03 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
	श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स.वि.स.	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड ने वर्ष 2013 में 1320 MW पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु 470 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण गोड्डा जिलान्तर्गत सुन्दर पहाड़ी प्रखण्ड के टेसोवथान में जमाबंदी रैयतों का किया था;	आंशिक स्वीकारात्मक। जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड के द्वारा सुन्दरपहाड़ी प्रखंड एक मौजा में 2.21 एकड़ एवं गोड्डा प्रखंड के ग्यारह मौजा 832.63 एकड़ का अधियाचना की गई थी, जिसमें से गोड्डा प्रखंड का दो मौजा निपनियाँ मौजा में 76.6742 एकड़ एवं वारिसटांड़ मौजा में 139.481 एकड़ कुल–216.1552 एकड़ भूमि का दखल देहानी अधियाची विभाग को दे दी गई है। शेष मौजाओं का अधिग्रहण व्ययगत हो गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सात वर्ष बीत जाने के बावजूद अब तक पावर प्लांट निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है;	जिन्दल कम्पनी द्वारा उक्त भूमि में आंशिक घाहर दिवारी एवं भूमि समतलीकरण किया गया है परन्तु पावर प्लान्ट का निर्माण कार्य प्रारंम्भ नहीं किया गया है तथा भूमि अधियाची विभाग (जिन्दल कम्पनी) के दखल कब्जे में है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पाँच साल से ज्यादा बीतने के बावजूद उपयोग में नहीं आने वाले JSPL द्वारा अधिग्रहित कृषि भूमि को पुनः रैयतों को घोषणा के अनुसार वापस करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	RFCTLARR Act, 2013 की धारा–101 के आलोक में नियम–37(1) बनायी गयी है, जिसके अनुसार जहाँ अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि कब्जा लेने की तिथि से अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय–सीमा तक अनुपयोजित रह जाती है वहाँ अधियाची निकाय को जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गयी थी, नोटिस निर्गत करके और सुनवाई का अवसर प्रदान करके राज्य सरकार द्वारा आवश्यक लिखित आदेश पारित करके उस भूमि को राज्य सरकार के भूमि बैंक को वापस कर दी जायेगी। RFCTLARR Act, 2013 की धारा–101 एवं JRFCTLARR Rules, 2015 के नियम–37 के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–8ए./भू.अ.नि. वि.स.(तारां.)–24/20 123 (8) रा., राँची, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं.–74/वि.स., दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020

सरकार के अवर सचिव

E:\bidhan sabha\Prasnuttar 2020.docx

(128)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–मद्य 04 का उत्तर

क्र०	प्रश्नकर्त्ता– श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद अब तक जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हुआ है, और कितने दोषी पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की गई है, इसका ब्यौरा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	विभाग अवैध शराब के विनिर्माण एवं चोरी व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण हेतु प्रतिबद्ध है। फिर भी यदा–कदा कतिपय स्थानों से जहरीली शराब के सेवन से हुई मृत्यु की घटना प्रतिवेदित होती रही है। **झारखण्ड राज्य बनने के उपरांत** राँची, गिरिडीह एवं धनबाद जिला में तथाकथित जहरीली शराब से हुई मौत की घटना संज्ञान में आयी है, जिसकी विवरणी निम्नवत है :– (1) राँची जिला में वर्ष 2017 में प्रतिवेदित कुल 16 मृतकों में से 9 मृतकों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण जहरीली शराब के सेवन की पुष्टि की गई है। वर्ष 2018 में मृत 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों के विसरा रिपोर्ट में जहरीली शराब पायी गई है। (2) फरवरी, 2020 में गिरिडीह जिला में 15 व्यक्तियों की मृत्यु की घटना प्रतिवेदित है। प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार 4 व्यक्तियों की स्वाभाविक मृत्यु हुई है तथा शेष 11 व्यक्तियों के संबंध में चिकित्सक दल के द्वारा अत्यधिक मात्रा में अशुद्ध शराब के सेवन से मृत्यु बताया गया है। जिला प्रशासन के द्वारा 4 व्यक्तियों का पोस्टमार्टम कराया गया है। इससे संबंधित विसरा रिपोर्ट अद्यतन अप्राप्त है। विसरा रिपोर्ट के आधार पर ही जहरीली शराब के सेवन की पुष्टि की जा सकेगी। (3) धनबाद जिला में वर्ष 2004–05 में 15 एवं 2007–08 में 7 व्यक्तियों की मृत्यु जहरीली शराब के सेवन से होने की घटना संज्ञान में है। **दोषी पदाधिकारियों पर कृत कार्रवाई** उक्त घटना हेतु, कर्त्तव्य में लापरवाही के लिए धनबाद जिला में दो निरीक्षक उत्पाद एवं तीन अवर निरीक्षक उत्पाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। राँची जिला में कर्त्तव्य में लापरवाही हेतु क्षेत्रीय अवर निरीक्षक उत्पाद को निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गई थी। इसी मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा जाँचोपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकार के आदेशानुसार तत्कालीन सहायक आयुक्त उत्पाद, राँची को निलंबित किया गया। संप्रति उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है। राँची जिला में वर्ष 2017 में प्रतिवेदित घटना के मुख्य अभियुक्त को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है एवं इन्हें सजा भी हो चुकी है। वर्ष 2018 में हुई घटना के दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है एवं कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार की घटना संज्ञान में आने पर सरकार द्वारा जाँच समिति का गठन कर घटना के वास्तविक कारणों की जाँच की जाती है एवं जाँचोपरांत दोषी पदाधिकारियों पर विभागीय कार्यवाही की जाती है।

झारखंड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–03 / विधायी–04–05 / 2020– 404 / राँची दिनांक– 05/03/2020

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय को ज्ञाप सं० प्र–449 / वि०स० दिनांक 28.02.2020 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5.3.20
सरकार के संयुक्त सचिव

(190)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं०–श्र०नि०–11 की उत्तर सामग्री :–

क्र0	प्रश्नकर्त्ता श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय सदस्य, विधान सभा।	उत्तरदाता श्री सत्यानन्द भोक्ता, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार।
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़ प्रखण्ड अन्तर्गत एक भी आई0टी0आई0 संस्थान नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि आई0टी0आई0 संस्थान के अभाव में यहाँ के शिक्षित युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है;	आंशिक स्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार विष्णुगढ़ प्रखण्ड में आई0टी0आई0 संस्थान खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उग्रवाद प्रभावित (LWE) जिलों में युवाओं के लिए कौशल विकास योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, विष्णुगढ़ के निर्माण हेतु उपायुक्त हजारीबाग को राशि 2018 में आवंटित की जा चुकी है।

ह०/–
(संजय कुमार प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग।
फैक्स सं०–0651–2490956 ई० मेल : sec-labour-jhr@nic.in

ज्ञापांक–1 / श्र0नि0प्र0(वि0स0)–03–13 / 2020श्र0नि0– 338 राँची दिनांक– 05/03/2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं०–450, दिनांक–28.02.2020 के प्रसंग में 200 चक्रलिखित प्रतियों के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/3/20
सरकार के संयुक्त सचिव।

E:\Sam\Rahul\Vidhan Sabha\03-13-2020.docx

(192)

श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–12 का प्रश्नोत्तर :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
	श्री उमा शंकर अकेला, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–1956 में तिलैया डैम के निर्माण के वक्त हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही, चौपारण एवं चन्दवारा प्रखण्ड के विभिन्न गाँव यथा, पंचमाधव, श्रीनगर सहित कई गाँव के लोग विस्थापित हुए थे और उन्हें तत्कालीन बिहार सरकार एवं डी०वी०सी० द्वारा जमीनें दी गयी थी, लेकिन आज तक उन्हें उक्त जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है ;	स्वीकारात्मक ।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्षों से लम्बित उक्त विषय का निष्पादन विस्थापितों को मालिकाना हक देकर निष्पादित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	भू–अर्जन से प्रभावित/विस्थापित परिवारों को पुनर्स्थापित वासस्थल एवं आवंटित भूमि का स्वामित्व प्रदान करने के लिए विभागीय संकल्प संख्या–820 दिनांक–18.11.2016 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत है । कोडरमा जिला अन्तर्गत चन्दवारा प्रखण्ड के 113 परिवारों को मालिकाना हक देने की कार्रवाई की जा रही है । हजारीबाग जिला के बरही एवं चौपारण अंचल में डी०वी०सी० परियोजना के लिए सरकार द्वारा वर्ष–1950–60 के दशक में भूमि का हस्तांतरण किया गया है । उस समय से उसमें बसाये गये विस्थापितों का मालिकाना हक का निष्पादन नहीं किया जा सका है । अधिकांश विस्थापित जिस भूमि पर बसे हैं वह अधिसूचित वन भूमि है । अंश भाग गैरमजरुआ खास किस्म जंगल–झाड़ी खाते की भूमि है । वन भूमि होने के कारण अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पा रही है । रैयती खाता की भूमि में मालिकाना हक देने की कार्रवाई की गई है, जिसमें अंचल–बरही अन्तर्गत कुल 38 जमाबंदी को शुद्धि पत्र निर्गत किया जा चुका है एवं अंचल–चौपारण अन्तर्गत स्थानीय जाँच कर 54 आवेदन में ऑनलाईन प्लॉट अपलोड कर दिया गया है ।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

ज्ञापांक–08/भू०अ०नि०वि०स०(तारां0)–21/2020.122/नि०रा०, राँची, दिनांक–05-03-20

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञाप संख्या–228/वि०स०, दिनांक–23.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की प्रति के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/ सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ मा० मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/ विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020

सरकार के उप सचिव।

श्री दशरथ गागराई, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 27 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि सरायकेला–खरसावाँ जिलान्तर्गत ब्लड बैंक की स्थापना हेतु भवन का निर्माण हो चुका है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि ब्लड बैंक का अबतक संचालन नहीं हो पाया है ;	आंशिक अस्वीकारात्मक। वर्तमान में रक्त अधिकोष में रक्त संग्रहण एवं वितरण किया जा रहा है।
3-	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिला में ब्लड बैंक के नहीं होने से जरूरतमंद लोगों को ब्लड प्राप्त करने में कठिनाई होती है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरायकेला–खरसावाँ जिला में वर्तमान में रक्त संग्रहण एवं वितरण की सुविधा के कारण जनहित में जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। 05 ब्लड बैंक हेतु अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। 15 दिनों के अन्दर रक्त अधिकोष को पूर्णरूपेण संचालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरायकेला– खरसावाँ जिला में ब्लड बैंक प्रारंभ करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्यक्त कंडिका– 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-08/2020– 75 (15) राँची, दिनांक–3-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 283 दिनांक– 24-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(196)

श्री सोनाराम सिंकू, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स0– 08 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत नोवामुण्डी प्रखण्ड के ग्राम जेटेया में उपस्थास्थ्य केन्द्र भवन 10 वर्षों से भवन का कार्य अधूरा पड़ा है ;		स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संवेदक के विरूद्ध मनरेगा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज होने के फलस्वरूप संवेदक के फरार हो जाने के कारण समय कार्य पूर्ण नहीं हो सका। सम्प्रति छत ढ़लाई तक कार्य पूर्ण है।
2. क्या यह बात सही है, कि उपस्वास्थ्य केन्द्र नहीं बनने के कारण ग्रामीणों को स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए 15 कि0मी0 नोवामुण्डी जाना पड़ता है ;		जेटेया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुचारू रूप से संचालित है। जहाँ से उस क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है।
3. क्या यह बात सही है कि उपस्वास्थ्य केन्द्र के अभाव में कई ग्रामीणों की जान चली जाती है ;		जेटेया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुचारू रूप से संचालित है। जहाँ से उस क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा रही है। चिकित्सा के आभाव में ग्रामीणों के जान जाने संबंधी कोई सूचना नहीं है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ग्राम जेटेया में अधूरे पड़े उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन को पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		विभाग द्वारा पुनरीक्षित प्राक्कलन की मांग की गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलन प्राप्त कर स्वास्थ्य उपकेन्द्र, जेटेया के भवन निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (वा0)– 02/20–196(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 05·03·2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 214/वि0स0, दिनांक– 23.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
अवर सचिव।

(195)

श्री केदार हाजरा, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 16 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्रं०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शिबुडीह तथा देवरी प्रखण्ड के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेंगाडीह (घोरंजी) में चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मी का पद अभी तक सृजित नहीं किया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिले में जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत शिबुडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन एवं देवरी प्रखण्ड के ढेंगाडीह में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराया गया है। जिसके लिए विभागीय संकल्प सं0–162 (3) दिनांक–15.02.2019 क द्वारा दो–दो चिकित्सक का पद स्वीकृत किया गया है।
2-	क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पद सृजित नहीं रहने के कारण स्थानीय जनता को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिबुडीह के भवन से दो किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र, धुरता स्थित है, जहाँ ए0एन0एम0 के द्वारा सेवा दी जाती है प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ढेंगाडीह के नवनिर्मित भवन से दो किलोमीटर की दूरी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र, घोरंजी स्थित है जहाँ ए0एन0एम0 एवं पाछक के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही हैं
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में पद सृजित कर चिकित्सक एवं चिकित्सक कर्मी का पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	सृजित पदो के विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि0स0–07-02/2020 74(15) राँची, दिनांक–03-03-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 216 दिनांक– 23-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/03/2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(196)

श्री भानू प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या–रा०–10 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न श्री भानू प्रताप शाही, मा०स०वि०स०		उत्तर माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में नये सर्वे को फाईनल किये गये वगैर उसे ऑनलाईन कर दिया गया है;		अस्वीकारात्मक। अंतिम रूप से प्रकाशित खतियान को ही ऑनलाईन किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि ऑनलाईन में भारी अनियमितता होने की वजह से काफी लोगों को अपना जमीन का रसीद कटाने में दिक्कत हो रही है;		आंशिक स्वीकारात्मक। विभागीय पत्रांक–602/नि०रा०, दिनांक–06.11.2018 द्वारा त्रुटियों के निराकरण हेतु झारभूमि पोर्टल को 365 दिन खोलने का प्रावधान किया गया है। त्रुटियों के संदर्भ में आवेदन प्राप्त होने पर उसका निराकरण NIC के सहयोग से निरन्तर कराया जा रहा है। त्रुटि निराकरण के उपरांत लगान रसीद निर्गत किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तत्काल रोक लगाते हुए रजिस्टर–II के हिसाब से रसीद कटवाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		अवैध/संदिग्ध जमाबंदियों के चिन्हितीकरण के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि बहुत सारे मामले में पंजी– II में गलत ढंग से बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमाबंदी दर्ज कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि मंत्रिपरिषद के दिनांक–03.07.2018 के मद संख्या–18 में लिये गये निर्णय के आलोक में अवैध/संदिग्ध जमाबंदी के मामले में रसीद निर्गत करने की कार्रवाई की जा रही है। अबतक 62,628 ऐसे मामलों में रसीद निर्गत किया जा चुका है। इस कारण खतियान के आधार पर ही लगान रसीद निर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक–01/(निदे०अमि०) वि०स०(तारां)–07/2020 – 76/Gu राँची, दिनांक– 05-03-2020

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–90, दिनांक–20.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
सरकार के अवर सचिव।

(197)

.सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीया स.वि.स. द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स.–16 का प्रश्नोत्तर :–

क्र.	प्रश्न		उत्तर
	सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स.वि.स.		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड कटकमदाग के ग्राम बांका में एनटीपीसी द्वारा किसानों के कृषि भूमि पर 1.8 किलोमीटर तक कोल डम्पिंग यार्ड बनाया जा रहा है;		अस्वीकारात्मक। मौजा–बांका में पूर्व मध्य रेलवे, हजारीबाग हेतु कुल अधियाचित रकबा–27.89 एकड़ मद्ये कुल रैयती भूमि 18.89 एकड़ पर अभिलेख संख्या–13/2003–04 के माध्यम से भू–अर्जन की कार्रवाई करते हुए भुगतान किया गया है। ग्राम–बांका में कुल रकबा–2.24 एकड़ गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि हस्तान्तरण वाद संख्या–06/2012–13 से एनटीपीसी को रेलवे साईडिंग हेतु हस्तान्तरित है। वर्तमान में एनटीपीसी का रेलवे साईडिंग कार्यरत है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के वर्णित खाता नं.–53 का अधिग्रहण किए बगैर पुलिस का भय दिखाकर किसानों के 12 सिंचाई कूपों को मिट्टी डालकर भर दिया गया है ;		अस्वीकारात्मक। पुलिस का भय दिखाकर अधिग्रहण की कार्रवाई नहीं किया गया है। निर्माण क्षेत्र में 8 (आठ) सिंचाई कूप कोल डम्प साईडिंग क्षेत्र में पड़ने के कारण भरे जा चुके हैं।
3.	क्या यह बात सही है कि कम्पनी द्वारा जो भी निर्माण कार्य बांका वन भूमि पर किया जा रहा है उसके अपयोजन का प्रस्ताव ग्राम सभा में रखने के लिए अंचलाधिकारी कटकमदाग द्वारा पत्र निर्गत किया गया था, जिसे ग्रामसभा द्वारा खारिज कर वन भूमि को अक्षुण रखने का निर्णय लिया गया, इसके बावजूद भी कम्पनी डम्पिंग यार्ड बना रही है;		अस्वीकारात्मक। ग्राम–बांका में एनटीपीसी के रेलवे साईडिंग हेतु कुल रकबा–2.24 एकड़ गैरमजरूआ भूमि हस्तान्तरित है। उक्त भूमि में ग्रामीण को आम इस्तेहार के माध्यम से दावा आपत्ति की माँग की गयी थी, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपने दावेदारी से संबंधित कागजात समर्पित नहीं किया गया है। उपरोक्त भूमि वन भूमि न होकर गैरमजरूआ खास परती कदीम भूमि है, जिसमें ग्राम सभा की आवश्यकता नहीं है।
4.	क्या यह बात सही है कि अवैध तरीके से हो रहे निर्माण कार्य का विरोध करने पर तत्कालीन स्थानीय मुखिया प्रियंका कुमारी सहित 10 अन्य महिलाओं पर झूठा केस कर दिया गया है;		अस्वीकारात्मक। तत्कालीन मुख्य अभियंता (निर्माण विभाग) पूर्व मध्य रेलवे हजारीबाग के सूचना पर कटकमसांडी थाना में कांड संख्या–246/14 विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में अवैध निर्माण कार्य रोकने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?		उपर्युक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

कृ.पृ.उ.

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–5 / स.भू. हजारीबाग(वि.स.तारां.)–21 / 2020..898...(5) / रा., राँची, दिनांक–05.3.2020

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं. प्र.–286 / वि.स., दिनांक–24.02.2020 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / मा0 मंत्री के आप्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची / विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/2020

सरकार के अवर सचिव।

(98)

श्री किशुन कुमार दास, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक–06.03.20 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–स– 05 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1-	क्या यह बात सही है, कि चतरा जिलान्तर्गत टण्डवा के उप स्वास्थ्य केन्द्र, बडगाँव पंचायत के स्वास्थ्य केन्द्र, पत्थलगड्डा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सिमरिया प्रखण्ड में रेफरल, मयुरहण्ड प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में मूलभूत सुविधा का अभाव है ;	अस्वीकारात्मक। स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बडगाँव, टंडवा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मयुरहण्ड एवं रेफरल अस्पताल, सिमरिया में मूलभूत सुविधा उपलब्ध है।
2-	क्या यह बात सही है कि वर्णित किसी भी अस्पताल में महिला चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, गिद्दौर में महिला चिकित्सक पदस्थापित है। उक्त महिला चिकित्सक मातृत्व अवकाश में है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में महिला डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति, नर्सिंग स्टाफ की प्रतिनियुक्ति के साथ–साथ दवाई उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 15/वि०स०–07-04/2020– 71 (15) राँची, दिनांक–3-3-2020

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 213 दिनांक– 23-02-2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03.03.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

Tiwari

(179)

श्री भूषण बाड़ा, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 06.03.2020 को सदन में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–स– 44 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :– 1. क्या यह बात सही है, कि सिमडेगा जिला के पालकोट प्रखण्ड स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन अत्यन्त जर्जर अवस्था में एवं चाहरदिवारी भी नही है,	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तु स्थिति यह है कि पालकोट प्रखण्ड सिमडेगा जिला के अन्तर्गत नहीं है बल्कि यह गुमला जिला के अन्तर्गत है। जहाँ स्वास्थ्य उपकेन्द्र नहीं बल्कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किया गया है।
2. क्या यह बात सही है कि खण्ड (1)में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्र में चिकित्सकों का आवास भी जर्जर अवस्था मे होने के कारण पदस्थापित चिकित्सक उक्त आवास में आवासित नहीं है जिस कारण यहाँ के मरीज रात्रि में आकस्मिक चिकित्सा लाभ से वंचित है,	आंशिक स्वीकारात्मक। गुमला जिला के पालकोट प्रखण्ड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–35(6)ब दिनांक 06.06.2018 द्वारा कुल 10,91,73,300/– रूपये की लागत पर दी गई है। जिसमें चिकित्सक, पारामेडिकल कर्मी एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मियों का आवास भी सम्मिलित है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड(1) में वर्णित स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं चिकित्सकों के आवास का मरम्मतिकरण तथा सुरक्षा हेतु चाहर दिवारी का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 2 में स्थिति स्पष्ट कर दिया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

ज्ञापांक–6/पी0वि0स0 (ता0)– 13/20–197(6)स्वा0, राँची, दिनांक: 05.03.2020

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–445/वि0स0, दिनांक– 28.02.2020 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05/03/2020
अवर सचिव।

(201)

डॉ० लम्बोदर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–06.03.2020 को पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–श्र०नि०–03 का उत्तर :–

क्रम सं०	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में हजारों की संख्या में वृद्धा/वृद्धा योग्य महिला एवं पुरूषों के राष्ट्रीय वृद्धावस्था/विधवा पेंशन/दिव्यांग पेंशन के दिए गये आवेदन स्वीकृत है, किन्तु लक्ष्य के अभाव में ऑनलाईन होने के पश्चात् पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक। पेंशनधारियों का पेंशन स्वीकृति के उपरान्त ऑनलाईन NSAP-PPS Portal पर Data Entry के उपरान्त PFMS के माध्यम से लाभुकों को नियमित पेंशन भुगतान किया जा रहा है। तकनीकि समस्या तथा राशि की अनुपलब्धता की स्थिति में कभी–कभी भुगतान में विलम्ब होता है।
2.	क्या यह बात सही है कि पूरे राज्य में हजारों की संख्या में योग्य वृद्धा/विधवा/ दिव्यांगों का संबंधित पेंशन की स्वीकृति हेतु आवेदन B.D.O./C.O./C.D.P.O कार्यालय में लंबित है,	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में बजटीय प्रावधान के आलोक में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ही लाभुकों का चयन किया जाता है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में उपर्युक्त राष्ट्रीय वृद्धा/विधवा पेंशन/दिव्यांग पेंशन का लक्ष्य बढ़ा कर सभी लंबित आवेदकों के पेंशन की स्वीकृति एवं भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट में उपलब्ध राशि के आलोक में निर्धारित लक्ष्य के अनुरुप रिक्तियों के विरुद्ध पेंशन के आवेदनों को स्वीकृत करने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म०स०/विधान सभा–48/2020 – 383 राँची, दिनांक : 04-03-2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं०– 223/वि०स० दिनांक–23.02.2020 के संदर्भ में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.3.20

(अरशद जमाल)
सरकार के अवर सचिव।